

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या - 150/2025

उनवान

1. गोरधनराम पुत्र राणाराम जाति भील बनाम 1. तहसीलदार रामसर।
निवासी भीलों का पार तहसील रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131, 136 राज0मू0राज0 अधिनियम

आदेश

दिनांक 17.12.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी गोरधनराम पुत्र राणाराम जाति भील निवासी भीलों का पार तहसील रामसर द्वारा दिनांक 02.05.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,132,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 58,59,60,66,86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रकरण को दर्ज किया जाकर तहसीलदार रामसर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रामसर के पत्रांक राजस्व/कदीमी रास्ता/2025/2861 दिनांक 04.12.2025 द्वारा निम्नानुसार रिपोर्ट प्राप्त हुई है मौजा कंटलिया का पार पटवार मण्डल गागरिया के खातेदारी खसरा नंबर क्रमशः 181/113, 182/113, किस्म बा.दो. एवं बा.सो. में एक (बारहमासी रास्ता) चल रहा है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का कहीं भी अंकन नहीं है। उक्त रास्ते का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन संलग्न दर्शाये अनुसार ए एवं बी के अनुसार राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज- 6/2003/परि/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है।

क.स.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टेयर	किस्म	रास्ते में प्रभावित भूमि रकबा हेक्टेयर में	रास्ता अंकन के बाद शेष खसरे का रकबा हेक्टेयर में
1.	कंटलिया का पार	181/113	10.3599	बा.दो.	0.0861	10.2738
		182/113	7.7700	बा.सो.	0.0216	7.7484
2.	योग :-	02	18.1299		0.1077	18.0222

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तावित मौके पर स्थाई रूप से चल रहे कदीमी/ बारहमासी रास्ता जो हर मौसम /सीजन के अनुसार बदलता नहीं है एवं वर्ष भर आमजन के आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध रहता है तथा वर्तमान में चालू हैं तथा प्रस्तावित भूमि वर्तमान में रास्ते में उपयोग में ली जा रही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन एवं तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कंटलिया का पार पटवार मण्डल गागरिया के खसरा नंबर क्रमशः 181/113, 182/113, किस्म बा.दो. एवं बा.सो. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संलग्न नक्शे में ए से बी तक निजी खातेदारी भूमि में से चालू स्थाई रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में रखते हुये नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाकर संलग्न नक्शे में A से B तक रास्ते के रकबे सहित किस्म गोर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

उक्त आदेश आज दिनांक 17.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो एवं नम्बर से कम हो।

(राम लाल मीणा)

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी

नम्बरा

कंट्रोलिंग का पार

सं. - 181/113

182/113

पटवारी इत्यादि सामग्री 115

112

विषय - कदीमी सस्ता प्रस्ताव

उपर्युक्त विषयानुसार

182/113

मौलों का पार द्वारा

सौजा के दिनांक का पार के

कदीमी सस्ता को राजस्व रेकॉर्ड

अलग ही संलग्न


181/113

करवाने के लिए नियमानुसार प्रस्ताव

प्रस्तुत करने का प्रेषित करना

उपर्युक्तानुसार

कदीमी सस्ता मार्ग
181/113 - पारवारी इत्यादि



लंबे



कदीमी मार्ग
(बिंदु A से B तक
वारंशगी)
(0.1077 हेक्टेयर)

प. गागादिना

Handwritten signature



C.S.
Handwritten signature

17/12/2025
मुख्य अधिकारी, रामसर

तहसीलदार, रामसर